संख्या-202/2026/2187/सैंतीस-2-2026/001-1(30)/2025-2019421

प्रेषक,

मनीष चन्द्र श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-29 सितम्बर, 2026

विषयः-**चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-15 के अधीन बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें (नव सृजित विकास खण्डों के लिए) (रा.यो.) योजना के अन्तर्गत वाहनों के क्रय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-348/सा0-1/एक्स-84(120)/बहु.स.प.चि.से./2025-26, दिनांक-25.08.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मे0 महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि0 के Mahindra Bolero B4 BS-VI माडल के 04 वाहनों का जेम पोर्टल पर अनुमोदित दरों पर क्रय किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-10-बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें (नव सृजित विकास खण्डों के लिए) (रा.यो.) के मानक मद 14-मोटर गाडियों का क्रय में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-35.24848 लाख (रूपये पैंतीस लाख चौबीस हजार आठ सौ अड़तालिस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. क्रय किये जाने वाले वाहनों का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेशों में निर्धारित सीमा/व्यवस्था तथा परिवहन विभाग द्वारा वाहन क्रय हेतु निर्गत संगत शासनादेशों के अन्तर्गत किया जायेगा।
2. प्रश्नगत वाहन हेतु अनुमन्य/स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा मितव्ययिता के दृष्टिगत वाहन की नितान्त आवश्यकता/अपरिहार्यता होने पर ही वाहन का क्रय किया जायेगा।
4. प्रश्नगत क्रय वाहन की गुणवत्ता, विशिष्टियों एवं वरीयता को सुनिश्चित करने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 35,24,848 (रुपये पैंतीस लाख चौबीस हजार आठ सौ अड़तालीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026 - 27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 015 लेखा शीर्षक 4403001011000 बहुद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें (नव सृजित विकास खण्डों के लिए) (रा.यो.) मानक मद 14 मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या–E-1-142-X-2026-27, दिनाँक-17.09.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0-202/2026/2187(1)/सैंतीस-2-2026/001-1(30)/2025-2019421, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।